

**लोक सभा**

अतारांकित प्रश्न संख्या 586  
03 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

**पोक्कली के खेतों में एकीकृत धान-मछली पालन**

**586. डॉ. शशि थरूर:**

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केरल के पारंपरिक पोक्कली खेतों में मौजूदा मौसम अनुकूल खेती चक्र से हटकर साल भर एकीकृत धान-मछली पालन की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा गया है,
- (ख) क्या सरकार ने इस प्रकार की साल भर चलने वाली खेती की व्यवहार्यता, स्थिरता और पारिस्थितिकी प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई वैज्ञानिक, पर्यावरणीय या कृषि संबंधी अध्ययन शुरू किया है या अनुमोदित किया है,
- (ग) यदि हां, तो उक्त अध्ययन में शामिल संस्थान, अध्ययन का दायरा, समय-सीमा और प्रदान की गई निधि का ब्यौरा क्या है,
- (घ) क्या सरकार ने पोक्कली पारिस्थितिकी तंत्र, मृदा लवणता संतुलन, जैव विविधता और दीर्घकालिक उत्पादकता के लिए संभावित जोखिमों की जांच की है, और
- (ङ) क्या सरकार उक्त वैज्ञानिक निष्कर्षों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने और स्थानीय किसान समुदायों से परामर्श करने के बाद ही कोई नीतिगत निर्णय लेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री**

**(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)**

(क) पोक्कली केरल की तटीय लवणीय मिट्टियों में उगाई जाने वाली चावल की एक लवण सहिष्णु (सॉल्ट टोलेरेंट) किस्म है। पोक्कली की कृषि इस क्षेत्र के किसानों द्वारा सदियों में विकसित की गई है, ताकि पर्यावरण तंत्र को प्रभावित किए बिना उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। धान की खेती के बाद इन खेतों का उपयोग प्रॉन्स/मत्स्य पालन के लिए किया जाता है। एकल फसल वाले 90 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रों में, कम लवणता की अवधि के दौरान, मई-जून से सितंबर-अक्टूबर तक—धान की खेती की जाती है। श्रम लागत में वृद्धि के कारण, कई क्षेत्रों में कृषि नहीं की जा रही है। अलाप्पुझा, एर्नाकुलम, त्रिशूर, मलप्पुरम, कन्नूर जिलों में ऐसे क्षेत्रों का विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है जहां कृषि नहीं की जा रही है और भूमि मत्स्य/प्रॉन्स फार्मिंग के लिए उपयुक्त है। वर्तमान में, मौसमी कृषि चक्र को छोड़, पोक्कली खेतों में वर्षभर एकीकृत धान-मत्स्य पालन के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (ड): केरल सरकार द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार, मत्स्यपालन विभाग, कृषि विभाग तथा स्थानीय स्वशासन विभाग (LSGD) के अधिकारियों द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण किया गया है, ताकि उन परती क्षेत्रों की पहचान की जा सके जो जलकृषि के लिए उपयुक्त हैं, जहाँ विगत तीन दशकों से अधिक समय से धान की खेती नहीं की जा रही है। इस संबंध में केरल सरकार के मत्स्यपालन विभाग द्वारा कोई अन्य वैज्ञानिक, पर्यावरण या कृषि संबंधी अध्ययन नहीं किया गया है। केरल के पारंपरिक पोक्कली क्षेत्रों में वर्ष भर एकीकृत धान मत्स्य पालन की अनुमति देने के लिए इस विभाग को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। हालाँकि, अगस्त, 2025 में केरल से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर, मत्स्यपालन विभाग भारत सरकार, ICAR-सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट (CMFRI), ICAR-सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिशवाटर एक्वाकल्चर (CIBA) और नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड (NFDB) के विशेषज्ञों की एक टीम ने कुट्टानाड एग्रोइकोसिस्टम के धान के खेतों में धान की कृषि करने वाले किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों और जलकृषि को शामिल करने की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए क्षेत्र का दौरा किया। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार, केरल सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। PMMSY के तहत इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग (धान सह मत्स्य पालन, पशुधन सह मत्स्य, आदि) के लिए इनपुट सपोर्ट सहित विभिन्न मात्स्यिकी संबंधी गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान की जाती है। विगत छह वर्षों के दौरान, विभाग ने राज्य में विभिन्न मात्स्यिकी गतिविधियों के विकास के लिए केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत 1418.51 करोड़ रुपये के मात्स्यिकी विकास प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

\*\*\*\*\*